न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —99 / 2016 अपील (RCMS/2016/00016)
पंजीयन दिनांक —17.10.2016
निर्णय दिनांक —26.02.2019

1. श्रीमती केशी पुत्री श्री दल्ला गाडरी पत्नि गंगाराम गाडरी, निवासी गांव आसावरा, गाडरियों का मोहल्ला, पोस्ट गूपडी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती नाथी पुत्र श्री दल्ला गाड़री पत्नि श्री लोगर गाड़री, निवासी एकलिंग जी का खेड़ा, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमत रम्भादेवी बेवा श्री दल्ला गाड़री, निवासी सिंहाडा, पटवार हल्का साकरोदा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
2. श्री शंकर पिता श्री दल्ला गाड़री, निवासी सिंहाडा, पटवार हल्का साकरोदा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
3. श्री लाला पिता श्री दल्ला गाड़री, निवासी सिंहाडा, पटवार हल्का साकरोदा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
4. श्रीमती कनीबाई पत्नि श्री भूरीलाल गाड़री, निवासी गांव लीलावास, पोस्ट लीलावास, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।
5. श्री फतेहसिंह पिता श्री भूरसिंह चुण्डावत, निवासी सिंहाडा, पटवार हल्का साकरोदा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

—रेस्पोडेन्टस्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

1. श्री चन्दशेखर आमेटा — वकील अपीलान्ट
2. श्री भवानी शंकर पानेरी — वकील रेस्पोंपेंड—4
3. श्री लक्ष्मीलाल जैन — वकील रेस्पोंपेंड—5

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 17/2012 दिनांक 13.06.2016

निर्णय

दिनांक 26.02.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 17/2012 दिनांक 13.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा में ग्राम पंचायत, साकरोदा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या–310 दिनांक 07.08.1983 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सिहाड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के खाता संख्या 13 में हाल आराजी नम्बर 959 रकबा 2.7500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 960 रकबा 2.8500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1029 रकबा 1.4200 हैक्टेयर, खाता संख्या 14 में हाल आराजी नम्बर 388 रकबा 1.0000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 390 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 391 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 549 रकबा 0.0550 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 550 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 551 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आरजीा नम्बर 558 रकबा 0.0350 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 559 रकबा 0.0150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 560 रकबा 0.0150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 561 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 562 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 563 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 564 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खाता संख्या 16 में आराजी नम्बर 319 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 328 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 329 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 330 रकबा 0.0150 हैक्टेयर व खाता संख्या 17 में आराजी नम्बर 533, 537, 538, 546, 547, 548 व खाता संख्या 15 में हाल आराजी नम्बर 566 में स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलान्टस् के पिता स्व. दल्ला पिता देवा गाड़ी व अपीलान्ट के काका लक्खा पिता दोला जी गाडरी के नाम संयुक्त रूप से अंकित होकर उक्त भूमि में दोनों का 1/2–1/2 हिस्सा निहित था। श्री दल्ला की पत्नि श्रीमती गमेरी (फौत) से एक पुत्र श्री शंकर व दो पुत्रियां श्रीमती केशी व श्रीमती नाथी है। श्रीमती गमेरी मृत्यु उपरान्त दुसरी पत्नि श्रीमती रम्भा से एक पुत्र श्री लाला व श्रीमती कनी है। इस प्रकार दल्ला के दो पत्नियां हो दल्ला की मृत्यु वर्ष 1982 में हो गई जिसका विरासत से नामान्तरकरण संख्या 310 दिनांक 07.08.1983 को खोला गया जिसमें उसके दो लड़कों श्री शंकर व लाला पिता दल्ला नाबालिग बेवा माता श्रीमती रम्भाबाई गाड़री के नाम से दर्ज किया गया, जबकि विरासत से नामान्तरकरण शंकर, लाला, केशी, नाथी, कनी पिता दल्ला नाबालिग जरिये संरक्षक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बेवा रम्भाबाई गाड़री के नाम खोला जाना था। इसलिए उक्त नामान्तरकरण को निरस्त फरमाकर अपीलान्टस् एवं रेस्पोडेंट संख्या–4 जो दल्ला की पुत्रियां है, उनके नाम नामान्तकरण दर्ज कराने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान–2016 कैम्प साकरोदा में रख हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधित अधिनियम 2005 के पूर्व स्त्री दायदों का पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा जो नामान्तकरण स्वीकृत किया, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाये जाने से निर्णय दिनांक 13.06.2016 से अपील अपीलान्ट खारीज की।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–4 उपस्थित। अन्य रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्ताओं की एकतरफा बहस दिनांक 11.02.2019 को सुनी गई। बहस उपरान्त विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–5 उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज कराने का अनुरोध किया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–5 को निर्णय से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया, लिखित बहस अप्राप्त।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय व विधि के विपरित जाकर उक्त निर्णय पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय में हिन्दू उत्तराधिकार संशोधित नियम 2005 को समझने में बडी भूल कि है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का भी अवलोकन नहीं किया है जिसकें आधार पर अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत की है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निर्वसीयती हिन्दू पुरूष की मृत्यु के पश्चात् उसके प्रथम श्रेणी के वारीसान को उसकी सम्पत्ति में बराबर हिस्से का अधिकार मिलता है। अपीलान्ट अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से पुत्र के समान बराबर हिस्से की हकदार है जिसमें ग्राम पंचायत ने नहीं समझा व गलत नामान्तकरण खोल दिया। वादग्रस्त भूमि का बटंवारा नहीं हुआ है तथा आज भी संयुक्त खातेदारी की भूमि है व अपीलान्ट का भी उक्त भूमि में हिस्सा व कब्जा है। अपीलान्ट प्रथम श्रेणी का वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत थी जिसमें अपीलान्ट को बिना सुने व बिना सुनवाई का अवसर दिये मात्र राजस्व लोक अदालत अभियान में टारगेट पूरा करने के लिए जल्दबाजी में गलत निर्णय पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–4 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण पूर्णतया विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत में नामान्तकरण स्वीकृति दौरान अपीलान्ट मौके पर उपस्थित थे उस समय उनके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। परन्तु नामान्तरकरण स्वीकृति के 30 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसके विलम्ब के कोई कारण स्पष्ट नहीं किये गए ऐसी स्थिति में अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जानी थी जो नहीं की गई। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि वादग्रस्त भूमि का बटंवारा नहीं हुआ है तथा आज भी संयुक्त खातेदारी की भूमि है व अपीलान्ट का भी उक्त भूमि में हिस्सा व कब्जा है। अपीलान्ट प्रथम श्रेणी का वारिसान है। राजस्व लोक अदालत अभियान–2016 में केम्प कोर्ट साकरोदा में दिनांक 13.06.2018 नियत कर सिर्फ एकतरफा बहस सुन कर स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेस्पोडेंटस् को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई, बगैर नोटिस और किसी तामिल के निर्णय पारित किया गया। विद्वान रेस्पोडेंट संख्या–4 द्वारा आपत्ति जाहिर करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत में नामान्तकरण स्वीकृति दौरान अपीलान्ट मौके पर उपस्थित थे उस समय उनके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधिवक्ताओं के कथनों एवं प्रस्तुत तथ्यों से प्रकरण में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 13.06.2016 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर एवं उनको सुना जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का निर्णय दिनांक 13.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official